छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत अपील प्रकरण क्रमांक 56/2006</u>

श्री हरिश्चन्द खोबरागड़े,
अध्यक्ष,
छ.ग.शास.लघुवेतन कर्मचारी संघ,
जिला शाखा बस्तर, पुराना बस स्टैण्ड,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: <u>आदेश</u> ::
(<u>दिनांक 25 जनवरी 2007</u>)

श्री हरिश्चंद खोबरागड़े निवासी–जगदलपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की कि आयोग ने अपील प्रकरण क्रमांक–56/2006 में आदेश दिनांक 09–05–2006 के द्वारा निर्देश दिये थे कि अपीलार्थी को 15 दिन के अन्दर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जावे। साथ ही विलम्ब से जानकारी देने के लिए 5,000/– रूपए का कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये गये, किन्तु प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानकारी निरीक्षण कराकर प्रदान नहीं की। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से प्रतिवेदन बुलाया गया तथा विलम्ब से जानकारी देने के लिए 10,000/– रूपए शास्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री एस.एस.सी.केरकेट्टा उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने लिखित में अनुरोध किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर आदेश पारित किया जावे।

2/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि आयोग के निर्देश के बाद भी प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं दी गई, अतः सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। उसने क्षतिपूर्ति की भी मांग की। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि आयोग के आदेश के उपरांत पत्र दिनांक 29–05–2006 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वह कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन निःशुल्क कर ले, किन्तु वे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी को पूर्व में भी दिनांक 10–01–2006 के पत्र द्वारा कार्यालय में उपलब्ध जानकारी दी गई थी, जिसमें कि श्री शिवप्रसाद पटेल की नियुक्ति आदेश 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से अस्थायी शासकीय सदस्य घोषित होने

की तिथि आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय, भोपाल के आदेश दिनांक 23—09—1999 तथा 28—09—2000 की पदक्रम सूची एवं छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की पदक्रम सूची जारी दिनांक 02—05—2003 संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी चतुर्थ श्रेणी की पदक्रम सूची दिनांक 16—09—2005 एवं 08—09—2005 की प्रतिलिपियाँ दी गई। अपीलार्थी को आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क निरीक्षण करने के लिए पंजीकृत डाक से पत्र भी भेजा गया, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सूचना आयोग ने आदेश में उल्लेख किया था कि निःशुल्क अभिलेख निरीक्षण के उपरांत अपीलार्थी जिन अभिलेखों की मांग करता है, वह उसे दी जावे। चूंकि अपीलार्थी ने अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया, अतः अभिलेख न दिये जाने के लिए प्रतिअपीलार्थी दोषी नहीं है।

3/ उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आयोग के निर्देशानुसार रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन वांछित अभिलेख का अवलोकन कर अभिलेखों की प्रतियाँ नहीं मांगी गई, अतः जानकारी न देने के लिए जन सूचना अधिकारी, आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय दोषी नहीं है। यही कारण है कि उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

4/ अपीलार्थी की यह अपील/शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त